एंटी रैगिंग स्क्वाड (Antiragging squad) (महाविद्यालयीन स्तर पर)	01. डॉ. शुक्ला बेनर्जी 02. डॉ. शोभना उपाध्याय 03. प्रो. एस.के. शर्मा 04. डॉ. भानुप्रताप त्रिपाठी 05. डॉ. संजना भगत 06. डॉ. महेन्द्र प्रसाद 07. डॉ. ए. आर. सिद्धिकी 08. डॉ. मृगेन्द्र द्विवेदी 09. डॉ. आलोक लूका 10. डॉ. सुनिता सिंग सांवरिया 11. पी.जी. छात्र 3rd Sem. (वरिष्ठ) 12. यू.जी. छात्र प्रथम वर्ष (कनिष्ठ) 13. छात्रसंघ पदाधिकारी (वर्तमान)	संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
अनुशासन समिति (Discipline committee)	01. डॉ. रेखा पिंपलगॉवकर 02. डॉ. शोभना उपाध्याय 03. डॉ. रेणु सक्सेना 04. डॉ. एम.एस.गुप्ता 05. डॉ. बी.जी. शर्मा 06. डॉ. महेन्द्र प्रसाद 07. डॉ. सविता सिंग 08. डॉ दीपक सिन्हा 09. डॉ. साधना जायसवाल 10. डॉ. सुनिता सिंग सांवरिया 11. छात्रसंघ पदाधिकारी	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 27 सन् 2001) के महत्वपूर्ण बिन्दु

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना का प्रतिषेध

- रैगिंग एक दंडनीय अपराध है।
- रैगिंग मानवीय मूल्यों का हनन है।
- रैगिंग में निम्नलिखित का समावेश है : -
- मजाकपूर्ण व्यवहार
- किसी बात के लिये बाध्य करना
- व्यक्तित्व का अपमान या उपहास
- दोषपूर्ण अवरोध
- दोषपूर्ण परिरोध
- क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग
- आपराधिक धमकी
- विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

रैगिंग के लिए दंड

5 वर्ष का कारावास, रु. 5000 जुर्माना अथवा एक साथ दोनों प्रकार के दंड

(F) शिकायत पेटी की व्यवस्था

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के सामने शिकायत पेटी रखी गई है। इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित, वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम से डाल सकता है।

1. महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैगिंग गतिविधि/अशांति उत्पन्न करने वाला कोई कार्य अनुशासनहीनता, पीने के पानी एवं सफाई विषयक।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैकबोर्ड आदि विषयक।
3. संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति, अन्य प्रमाण पत्र विषयक।
4. किसी कक्षा/वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं परीक्षा प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली विषयक।
5. महाविद्यालय में कार्यालय की कार्य प्रणाली विषयक ऐसे सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लाये।

Scanned with CamScanner

परीक्षा सम्बन्धी नियम—

01. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
02. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
03. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।

(D) महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

01. यदि छात्र किसी अनैतिक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
02. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
03. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
04. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र या आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह हस्ताक्षर यथा संभव प्रवेश समिति के सम्मुख किया जाना चाहिए।
05. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने के पश्चात् (जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ रहा होगा) अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी। इस निधि की वापसी के समय विद्यार्थी को संबंधित रसीद प्रस्तुत करनी होगी। यदि छात्रावास की अमानती राशि एक वर्ष तक नहीं ली जायेगी तो वह उसके पश्चात् राजसात समझी जायेगी।
06. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन इस विवरण पत्रिका के किसी भी नियम/उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है प्राचार्य द्वारा विज्ञापित तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर समान रूप से अनिवार्यतः लागू होंगे।

(E) रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग जैसे घृणित एवं अमानवीय कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध हैं। रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी/जुर्माना (या दोनों) तथा महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगाई जायेगी।

2020-2-2

Scanned with CamScanner

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय , रायपुर

महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्राओं हेतु अनुशासन रखने संबंधी निर्देश

1. विद्यार्थीगण विद्यालय परिसर में अनुशासित रहें।

2. महाविद्यालय में शोरगुल नहीं करेंगी व परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित है , क्योंकि इससे अध्ययन /अनुशासन/संबंधी कार्य बाधित होता है।

3. महाविद्यालय परिसर में अपना वाहन निर्धारित स्थान पर रखें।

4. महाविद्यालय से बाहर (भूतपूर्व या अगहाविद्यालयीन) के विद्यार्थियों,व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित हैं। अतः इस महाविद्यालय नियमित विद्यार्थियों,अन्य मित्रों , व्यक्तियों को परिसर में न आने देवें/न लाए।

5. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थीगण मर्यादित आचरण/व्यवहार व वेशभुषा रहें।

6 . छात्र/छात्राएं रिक्त कालखंड में उनके लिए निर्धारित स्थान /रिडिंग रूम में बैठे,अन्य स्थानों/वाहनों की सीट पर कदापि न बैठें।

7. प्रत्येक छात्र/छात्राएं अपना पहचान पत्र/प्रवेश पत्र लेकर ही महाविद्यालय में प्रवेश करें। पहचान पत्र के अभाव में महाविद्यालय के बाहर जाने का आदेश दिया जा सकता हैं।

8. महाविद्यालय छात्र/छात्राएं कों पहचान पत्र रेड रिबन के साथ दिया जायेगा ।

9. महाविद्यालय के छात्र/छात्राएं हेतु कैन्टीन की व्यवस्था है। कैन्टीन के आसमान स्वच्छता का ध्यान रखें, जहाँ भी एक साथ दस से अधिक छात्र एकत्रित होते हैं वहाँ अनुशासन एवं मर्यादा में रहकर चर्चा करें।

10. परिसर में विभिन्न स्थानों में डस्टबिन (कूड़ादान) लगाया गया हैं। छात्र/छात्राएं उसका उपयोग करें।

11. महाविद्यालय की दिवारों पर किसी भी प्रकार के चिंह , स्लोगन,निशान टिप्पणी अंकित न करें। इसका विशेष ध्यान देवें।

12. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान /नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित हैं।

13. महाविद्यालय परिसर में छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रताड़ित विद्यार्थी स्वयं विवाद को न बढ़ाते हुए तत्काल संयोजक अनंशासन समिति, एन्टीरेसिंग समिति या प्रभारी प्राचार्य के समक्ष अपना शिकायत दर्ज कराएं , ताकि शिकायत कर्ता की संपूर्ण सुरक्षा देते हुए,अनुशासन भंग करने वालों को दंडित किया जा सके।

14. किसी भी परिस्थिति मे छात्र/छात्राएं द्वारा ऐसे कृत्य होते हैं जो कानूनन अपराध की सीमा में आते हैं तो संबंधित के रिपोर्ट पोलिस थाने में दर्ज की जावेगी।

15. रिक्त कालखंडों में सीनियर छात्र/छात्राएं अपने जूनियर को Introduction के बहाने परेशान न करें। अध्यापन कार्य पूर्ण हो जाने पर वे तत्काल अपने घर/कमरों हेतु प्रस्थान करें।

Scanned with CamScanner

2019-7-29 12:43

16. महाविद्यालय परिसर पूर्णतः सी.सी.टी.वी. कैमरों के निगरानी में है।अतः छात्र/छात्राएं सतर्क रहें एवं कोई भी अमर्यादित आचरण न करें।

17. अमर्यादित आचरण एवं अनुशासन हीनता करते पाये जाने पर दंडित किया जा सकते हैं।

18. छात्रावास के अंदर छात्र/छात्राएं के अनुशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होगी ,गलत कार्यों में संलिप्त होने पर हॉस्टल वार्डन के माध्यम से कार्यवाही कीडाअधिकारी के माध्यम से होगी।

19. खेल परिसर में छात्र/छात्राएं अनुशासित रहें। अनुशासन रखने की एवं अनुशासन भंग करने वालो पर कार्यवाही कीडाअधिकारी के माध्यम से होगी।

20. एन.सी.सी./एयर लिंग/एन.एस.एस.के परेड व गतिविधियों के दौरान संबंधित प्रभारी अनुशासन रखते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेंगें।

21. विद्यार्थीगण केन्टीन प्रभारी ,सुरक्षागार्ड के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करेंगी क्योंकि संबंधित स्थानों में अनुशासन व्यवस्था निर्धारित करने की जवाबदारी उनकी हैं।

22. महाविद्यालय के बरामदों ,अध्यापन कक्षों ,प्रयोगशालाओं ,ग्रंथालयों व उद्यानो में अनुशासित रहेगें। क्योंकि संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा (उनके द्वारा नामित प्राध्यापकों) द्वारा अनुशासन हीनता दर्शाने वाले छात्रों पर कार्यवाही हो सकती है।

23. कार्यालय में फार्म जमा करने ,फीस जमा करने ,नो–डयूस प्राप्त करने के दौरान कतारों में (महिला/पुरूष) पृथक कतार में अनुशासित होकर खड़े रहें। क्योंकि अनुशासन व्यवस्था बनाने की जवाबदारी कार्यालय की हैं ,कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती हैं।

24. अनुशासन हीनता पाये जाने पर पुलिस को सूचना दी जावेगी एवं संपूर्ण कृत्य की जवाबदारी संबंधित विद्यार्थीयों/व्यक्तिय की होगी।

Scanned with CamScanner

2019-7-29 12:44